रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड —3 उप-खण्ड (i)
PART II—Section—3 Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 440] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 1997/कार्तिक 20, 1919
No. 440] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 1997/KARTIKA 20, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1997

सं. 84/97-सी. शु.

सा. का. नि. 645 (अ) :— केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं. 2)अधिनियम, 1996 (1996 का 33) की धारा 68 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा, उनके द्वारा वित्तपोषित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भारत में आयात किए जाने वाले सभी माल को, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अन्तर्गत उन पर अद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर अद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क और वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33) की धारा 68 के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण विशेष सीमाशुल्क से छूट देती है।

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता निकासी के समय, संयुक्त राष्ट्र संघ या उक्त अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से व्यवहार करने वाले सम्बद्ध नोडल मंत्रालय में भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया इस आशय का शुल्क छूट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि आयातकर्ता संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के अन्तर्गत विशेषाधिकारों का हकदार संगठन है अथवा उक्त अधिनियम सं. 1947 का 46 की अनुसूची के अनुच्छेद II की धारा 7 में अन्तर्विष्ट छूट के लिए पात्र घोषित किया गया है, तथा उक्त माल उस संगठन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अपेक्षित है और उक्त परियोजना भारत सरकार के सम्बद्ध नोडल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है और उक्त संगठन द्वारा वित्तपोषित है।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ 'अन्तर्राष्ट्रीय संगठन' से अभिप्रेत है संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अधीन कोई ऐसा संगठन जिसे उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद II की धारा 7 के अधीन अन्तर्विष्ट विशेषाधिकारों के लिए पात्र संगठन घोषित किया गया है।

[फा. सं. 428/4/95-सी. शु. iv]

विजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 1997

No. 84/97-CUSTOMS

G.S.R. 645(E):— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 68 of the Finance (No.2) Act, 1996 (33 of 1996), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempt all the goods imported into India by the United Nations or, an International Organisation for execution of the projects financed by them and approved by the Government of India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the whole of the additional duty of customs leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act and the whole of the special duty of customs leviable under section 68 of the Finance (No. 2) Act 1996 (33 of 1996).

Provided that the importer, at the time of clearance, produces a Duty Exemption Certificate issued by an officer, not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the concerned nodal Ministry, dealing with the United Nations or the said International Organisation, that the importer is an organisation entitled for privileges under the United Nations (Privileges and Immunities Act, 1947 (46 of 1947) or declared to be eligible for exemption contained under section 7 of Article II of Schedule to the said Act No. 46 of 1947 and the goods are required for execution of the projects financed by such organisation and that such project has been approved by Government of India in the respective nodal Ministry and is financed by such organisation.

Explanation:— For the porpose of this notification, "International Organisation" means an organisation declared under section 3 of United Nations (Privileges and Immunities Act, 1947 (46 of 1947) to be an organisation eligible for privileges contained under section 7 of Article II of Schedule to the said Act.

[F.No. 428/4/95-CUS.IV]

VIJAY KUMAR, Under Secy.